FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

OF JOINT COMMITTEE

IN OA NO. 179/2020 (PB)

VOICE OF DEMOCRACY

VS

STATE OF M.P. & ORS.

Date of Inspection :- 24.12.2020

Committee members :-

i. Naib Tehsildar, Circle Bankuiya, Tehsil Huzur, Dist Rewa
ii. Divisional-in-Charge, Geology and Mining Department, Rewa
iii. Mining Officer, Rewa
iv. Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Rewa
v. Sub-Engineer, MPPCB, Rewa
vi. In-Charge, Chorghat Police Station, Rewa

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT OF JOINT COMMITTEE

The Hon'ble Tribunal vide its order dated 27.11.2020 passed in OA No. 179/2020(PB) passed the following directions :-

1. Grievance in this application is against illegal operation of stone crushers and illegal stone mining near a School, a Primary Health Centre, Anganwadi and habitation in Village Bankuaiya, Tehsil Huzoor, District Rewa, Madhya Pradesh, resulting in huge pollution affecting the public health.

2. The above allegation needs to be looked into by the State PCB and the District Magistrate, Rewa and action taken as per law. The nodal agency for coordination and compliance will be the State PCB.

3. A factual and action taken report may be furnished within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

i. As per the directions passed by the Hon'ble Tribunal, the Joint Committee of Naib Tehsildar, Circle Bankuiya, Tehsil Huzur, Dist Rewa, Divisional-in-Charge, Geology and Mining Department, Rewa; Mining Officer, Rewa; Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Rewa; Sub-Engineer, MPPCB, Rewa; In-Charge, Chorghat Police Station, Rewa inspected the site on 24.12.2020. The Joint Committee Inspection Report dated 24.12.2020 has been enclosed as **Annexure-1.**

ii. The officers of MPPCB have computed the amount of Environmental Compensation proposed to be levied on the defaulting units. The report is enclosed as **Annexure -2.**

Hon'ble Tribunal may kindly be please to take the above stated report on record.

Annexure 1 संलग्नक-2

(3)

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन

1. **विषय** :— ग्राम—बनकुइंया, तह0 हुजूर, जिला—रीवा में वैध/अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रेशर एवं खदानों से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या क अद्यतन स्थिति।

2. **संदर्भ** :— 1.मान्नीय एनजीटी ओ.ए. नं0 179/2020 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2020.
   2.कलेक्टर रीवा का आदेश कमांक 1904/एनजीटी/प्रदूषण नियंत्रण/2020—21 रीवा दिनांक 21.12.2020 ।

3. **निरीक्षण दिनांक** :— 24.12.2020.

4. **निरीक्षणकर्ता** :—
   - श्रीमती रत्नराशि पाण्डेय, नायब तहसीलदार बनकुइंया सर्किल तह0 हुजूर, जिला—रीवा (म.प्र.)
   - श्री बसंतराम, संभागीय प्रभारी अधिकारी, उड़नदस्ता, भौमिकी एवं खनिकर्म, जिला—रीवा (म.प्र.)
   - श्री वीर सिंह खनिज निरीक्षक, जिला—रीवा (म.प्र.)
   - डॉ0 आर.एस. परिहार, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रनिबो रीवा (म.प्र.)
   - श्री एम.पी. तिवारी, उपयंत्री, म.प्र.प्रनिबो रीवा (म.प्र.)
   - श्री शिवपूजन मिश्रा, थाना प्रभारी, चोरहटा जिला—रीवा (म.प्र.)

5. **निरीक्षण का संक्षिप्त विवरण** :—
   - ग्राम—बनकुइंया, तह0 हुजूर जिला—रीवा, रीवा मुख्यालय से लगभग 15 कि.मी. दूरी पररीवा सेमारिया प्रधानमंत्री सड़क के किनारे स्थापित है। ग्राम—बनकुइंया की कुल जनसंख्या लगभग 700 है, ग्राम—बनकुइंया की पुरानी व प्रमुख आबादी क्षेत्र सड़क मार्ग से लगभग 1.5 कि.मी. दूरी पर घनी आबादी क्षेत्र के रूप में स्थापित है।
   - ग्राम—बनकुइंया में मे. जे.पी.सीमेंट लिमि0 नौबस्ता की लीज प्रक्षेत्र के पूर्व तरफ विकसित है, ग्राम—बनकुइंया में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला वर्ष 2012—13, आंगनबाड़ी केन्द्र वर्ष 2013—14, आयुर्वेदिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2008—09, में स्थापित होकर संचालित है।
   - ग्राम—बनकुइंया में वर्ष 1985—86 से कुछ स्टोन क्रेशर संचालित हुये है।
   - मे. जे.पी.सीमेंट लिमि0 नौबस्ता को वर्ष 1990 में खदान की लीज स्वीकृत एवं आवंटित हुयी है।
   - ग्राम—बनकुइंया में कुल 14 स्टोन क्रेशर 06 छोटी खदानें वर्तमान में स्थापित है, जिनका विवरण संलग्न **प्रपत्र 01 एवं 02 अनुसार है**। निरीक्षण के द्वारा 14 स्टोन क्रेशरों में से मात्र 07 स्टोन क्रेशर एवं सभी 06 खदानें संचालित अवस्था में पाई गई है।
   - ग्राम—बनकुइंया की आबादी क्षेत्र व आंगनवाड़ी केन्द्र के समीप प्रमुखतः 02 स्टोन क्रेशर इकाईयां 100 मी0 की दूरी के अंदर स्थापित है, जिनके द्वारा वर्तमान में उत्पादन प्रक्रिया बंद किया गया है। उक्त स्टोन क्रेशर ग्राम की आबादी एवं आंगनवाड़ी, स्कूल, अस्पताल से अत्यधिक नजदीक स्थापित है।

- ग्राम–बनकुइंया में 07 स्टोन केशर बोर्ड से वैध जल/वायु सम्मति प्राप्त एवं समुचित व्यवस्था स्थापित कर संचालित है, 03 अन्य स्टोन केशर को स्थापना सम्मति जारी है, 02 केशर पूर्णतः बंद है। 02 केशर इकाईयों को अन्यत्र विस्थापित हेतु नोटिस जारी है।
- निरीक्षण के दौरान सरपंच ग्राम पंचायत बनकुइंया एवं प्रभारी पंचायत सचिव के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर स्कूल, आंगनवाड़ी व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना व स्टोन केशर से उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण की लिखित जानकारी प्रस्तत की गई, जिसके अनुसार प्रदूषण की कोई शिकायत एवं समस्या नही है। संलग्न प्रारूप –03
- निरीक्षण के दौरान स्टोन केशरों के लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है। संलग्न प्रारूप–04

6. वृक्षारोपण :–

ग्राम–बनकुइंया की आबादी घने हरे बड़े वृक्षों के बीच स्थापित है। ग्रामीण रहवासियों एवं स्टोन केशर संचालकों के द्वारा भी काफी मात्रा में वृक्षारोपण किया गया है।

7. निस्कर्ष :–

ग्राम–बनकुइंया में पूर्व से स्थापित एवं संचालित स्टोन केशर इकाईयों के समीपस्थ वर्तमान में 10–15 घर श्रमिक बस्ती व स्कूल, आंगनवाड़ी, प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जिनके समीपस्थ 02 स्टोन केशर इकाईयों को अन्यम विस्थापित किया जाना अनुशंसित एवं अन्य सभी इकाईयों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था उपस्करों का उन्नयन कराया जाना उचित प्रतीत होता है। निरीक्षण के समय स्कूल, आंगनवाड़ी, चिकित्सालय व रहवासी ग्रामीण जनों द्वारा प्रदूषण की व्यवस्था व बीमारी इत्यादि की शिकायत दर्ज नही कराई गई, केशर इकाईयों द्वारा सड़क मार्ग में भी जल छिड़काव कराया पाया गया है । म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा वायु परिमापन कार्य हेतु 02 जगहों में मशीन लगाकर मॉनिटरिंग कार्य कराया गया है।

(श्री एम.पी. तिवारी,) उपयंत्री क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा	(श्री वीर सिंह) खनिज निरीक्षण जिला–रीवा	(श्री शिवप्रताप मिश्रा) थाना प्रभारी चोरहटा जिला–रीवा
(डॉ० आर.एस.परिहार) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा	(श्री बसंतराम) संभागीय प्रभारी अधिकारी उड़नदस्ता, भौमिकी एवं खनिकर्म	(श्रीमती रत्नराशि पाण्डेय) नायब तहसीलदा बनकुइंया सर्किल तह० हुजूर, जिला–रीवा

230605

म बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा

	केशर का नाम एवं पता	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	जारी दिनांक	सम्मति वैधता	खदान की वैधता	वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था	वृक्षारोपण	आवादी स्कूल एवं अस्पताल से दूरी
	मे.त्रिवेणी स्टोन केशर (प्रो.श्री आशीष तिवारी) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 22000 MT/Y	10.04.13	3108.22	31.01.22	02 तरफ बाउन्ड्रीवाल एक तरफ रैम्प व माइंस,क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड, जल छिडकाव	100 नग	1.5 कि.मी
2	में.पार्वती स्टोन केशर (प्रो.श्री मिथिलेश द्विवेदी) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 24000 MT/Y	19.03.15	31.03.21	-	03 तरफ बाउन्ड्रीवाल क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड, जल छिडकाव	50 नग	0.7 कि.मी
3	में.सोहगौरा स्टोन केशर (प्रो.श्री सन्तोष सोहगौरा) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 24000 MT/Y	10.04.13	31.07.21	-	03 तरफ बाउन्ड्रीवाल क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड, जल छिडकाव	150 नग	0.6 कि.मी
4	में.माँ शारदा स्टोन केशर (प्रो. श्रीमती वंदना श्रीवास्तव) ग्राम	स्टोन गिट्टी 20000 MT/Y	09.08.08	31.05.23	-	03 तरफ बाउन्ड्रीवाल क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड, जल छिडकाव	150 नग	0.5 कि.मी
5	में.शिवशक्ती स्टोन केशर (प्रो.श्री जितेन्द्र सिंह) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 15000 MT/Y	06.05.06	30.04.21	-	03 तरफ बाउन्ड्रीवाल क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड, जल छिडकाव	50 नग	0.5 कि.मी
6	में.त्रिमूर्ती स्टोन केशर (प्रो.श्री राजेन्द्र ताम्रकार) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 36000 MT/Y		18.11.21	-	दो तरफ बाउण्ड्री वॉल क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड, जल छिडकाव	50 नग	500 मीं.

	...समता स्टोन केशर (प्रो.श्री मती ...आशा पाण्डेय) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 36000 MT/Y	31.07.22	31.07.22	26.09.22	चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड, वाटर स्प्रिकलर द्वारा जल छिडकाव	250 नग	300 मी.
8	माँ. स्टोन केशर (प्रो.श्री विजय पाण्डेय) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 24000 MT/Y	आवेदन निरस्त	आवेदन निरस्त	–	02तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड,	50 नग	300 मी.
9	मे. तिवारी स्टोन केशर (प्रो.श्री तुंगनाथ तिवारी) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 24000 MT/Y	31 'क' के तहत नोटिस जारी	31 'क' के तहत नोटिस जारी	–	01तरफ बाउन्ड्रीवाल क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड,	20 नग	150.मी.
10	मे. एन.पी.एस. स्टोन केशर (प्रो.श्री बदन तिवारी) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	उधोग बंद	31 'क' के तहत नोटिस जारी	31 'क' के तहत नोटिस जारी	–	क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड,	20 नग	75 मी.
11	मे.चित्रभान सिंह स्टोन केशर यूनिट-1(प्रो.श्री चित्रभान सिंह) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर रीवा	उधोग बंद	–	–	–	एक तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित	25 नग	500 मी.
12	मे.चित्रभान सिंह स्टोन केशर यूनिट -2(प्रो.श्री चित्रभान सिंह) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	उधोग बंद	–	–	–	एक तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित	25 नग	500 मी.
13	मे. हरिओम स्टोन केशर (प्रो.श्री विनीत सिंह) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 30000 MT/Y	.24.03.18	आवेदन निरस्त 10.01.21	–	एक तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड,	20 नग	300 मी.
14	मे. साई स्टोन केशर (प्रो.श्री शैलेश सिंह) ग्राम बनकुइंया तह हुजूर जिला रीवा	स्टोन गिट्टी 32000 MT/Y	23.09.18	आवेदन निरस्त 10.01.21	–	एक तरफ बाउन्ड्रीवाल निर्मित क्रसिंग चेम्बर कव्हर्ड,	25 नग	300 मी.

7 प्रपत्र

रीवा जिले के बनकुइंया स्टोन माइन की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	पी.सी.बी. आई. डी.	सम्मति वैधता
1	मे. बालाजी इन्फ्रा कम्पनी स्टोन माइन ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा	117400	21.09.2022
2	मे0 मोती पाण्डेय स्टोन माइन ग्राम बनकुइयां तह0 हुजूर जिला रीवा	21187	16.02.2022
3	श्रीमती आशा पाण्डेय स्टोन माइन ग्राम बनकुइयां तह0 हुजूर जिला रीवा	21190	26.09.2022
4	मे0 अजय स्टोन क्रेशर (स्टोन माइन)ग्राम बनकुइयां तह0 हुजूर जिला रीवा	120368	06.03.2023
5	मे0 शिवशंकर स्टोन माइन ग्राम बनकुइयां तह0 हुजूर जिला रीवा	115079	22.06.2024
6	मे. त्रिवेणी स्टोन माइन ग्राम बनकुइंया तह0 हुजूर जिला रीवा	114604	31.01.2022

25/01/2021
M.P. Tiwari
Sub Engineer

(8) प्रपत्र-0

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)

M. P. Pollution Control Board, Regional Office, Rewa
RECEIVED
5657
Date 17/12/2020

विषय :- माननीय एन.जी.टी 179/2020 के तहत जानकारी बावत्

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत मेरा कथन यह है कि ग्राम बनकुइयाँ मे वर्ष 1983 से स्टोन केसर एवं माईन्स संचालित है , जो रीवा जिले का प्रथम माईनिंग एरिया थी, क्योकि यहीं पर लाईम स्टोन बेल्ट है। शनैः शनैः नियमो के तहत कार्यवाही का प्रतिपादन किया गया जो निरंतर किया जा रहा है एवं स्टोन केसर स्थापित हो रहे है। बहुत से स्टोन केसर बंद हो गये इसके बाद दूसरे समय- समय पर आते रहे।

जहाँ विकास हो रहा है वही शासने ने ऑगनबाडी केन्द्र वर्ष 2013-14 मे , स्कूल वर्ष 2012-13 ...... मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2008-09 मे , बाद मे स्थापित हुये हैं। जो स्टोन केसर चल रहे हैं उनसे ग्राम बनकुइयाँ का आवासीय परिक्षेत्र दूर है , कुछ आदिवासी लोग मजदूरी करते हुये शासकीय एवं जे.पी. माईन्स के लीज क्षेत्र मे अनाधिकृत रूप से घर बनाकर रह रहें हैं। वर्तमान मे इन स्टोन केसर से किसी तरह की पर्यावरणीय क्षति नही हो रही है, क्योकि इनके द्वारा नियमों के पालन के तहत स्टोन केसर तथा माईनिंग का कार्य किया जा रहा है।

धन्यवाद

अन्नू देवी	(हस्ताक्षर)
सरपंच	सचिव
ग्राम - बनकुइयाँ	सचिव ग्राम पंचायत सरकवट
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत बनकुइयाँ जिला रीवा (म.प्र.)
तहसील - हुजूर जिला रीवा	ग्राम पंचायत ....
	तहसील - हुजूर जिला रीवा

मे. स्मिता स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

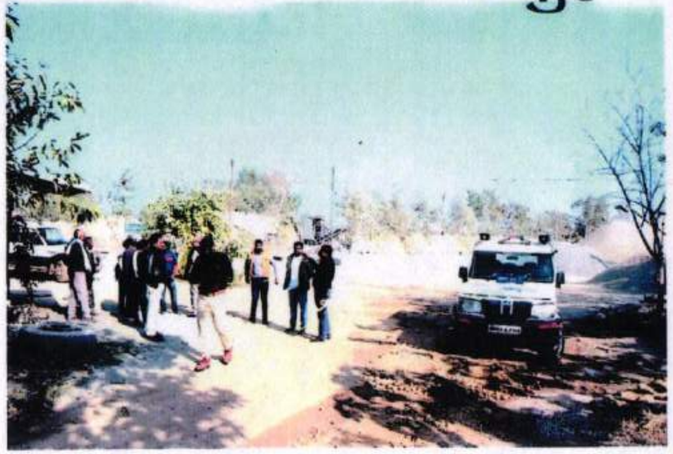

क्षेत्रीय अधिकारी
[illegible] प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रीवा (म०प्र०)

मेें मॉ पार्वती स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

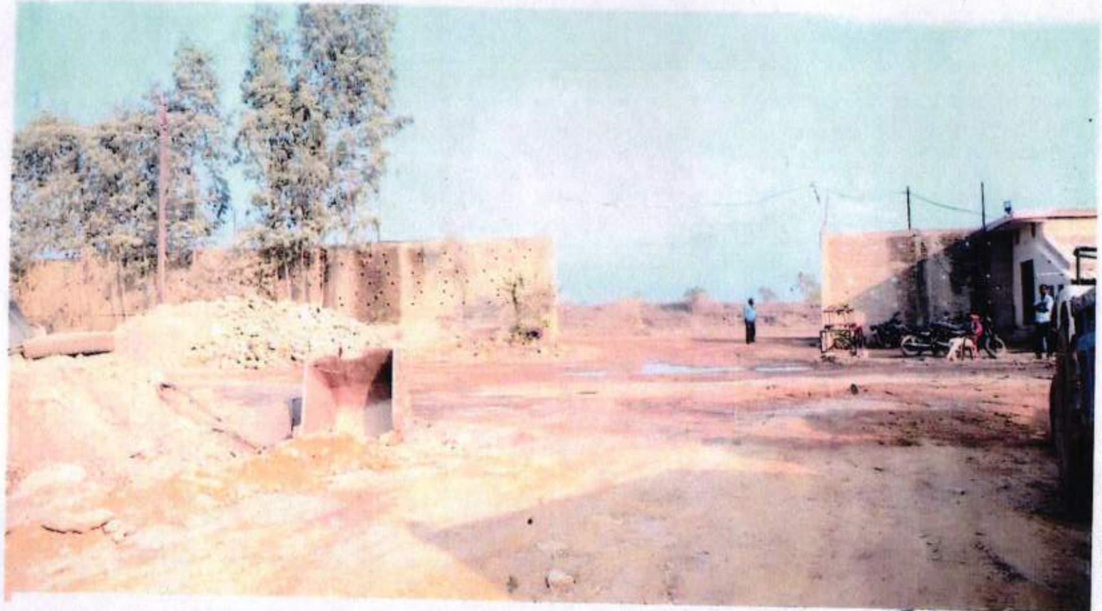

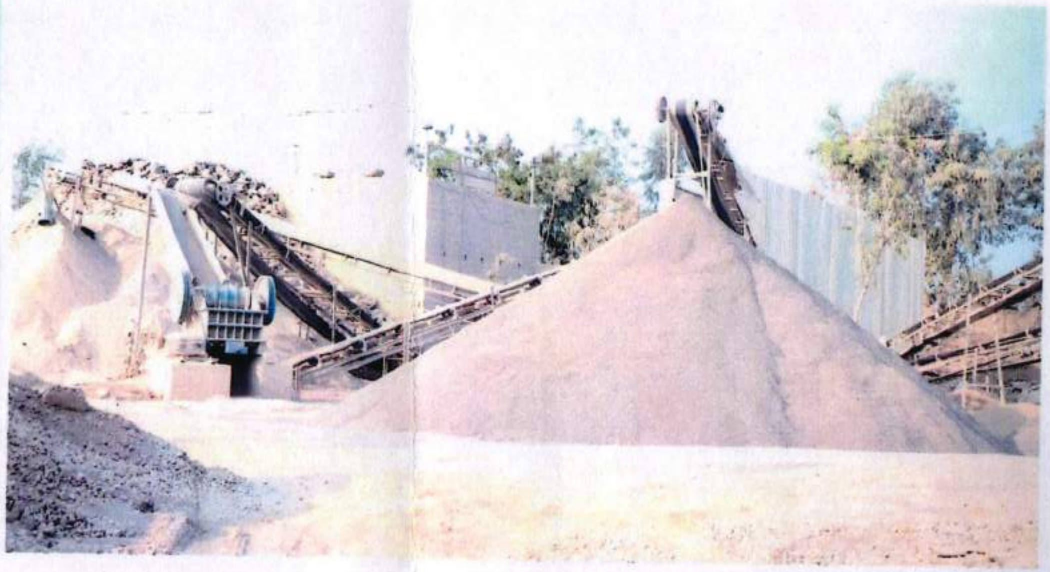

में. सोहगौरा स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

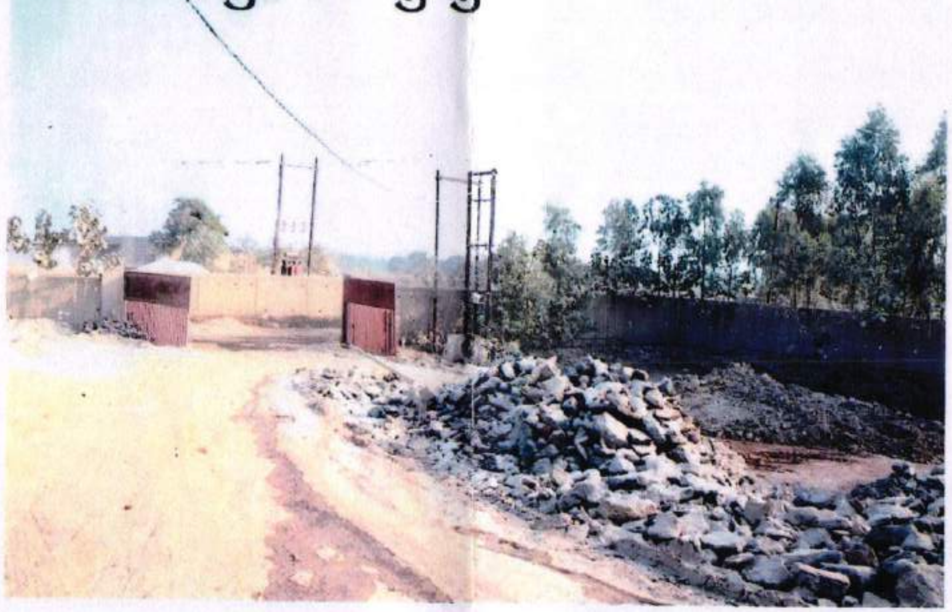

(12)

मॉ.शारदास्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

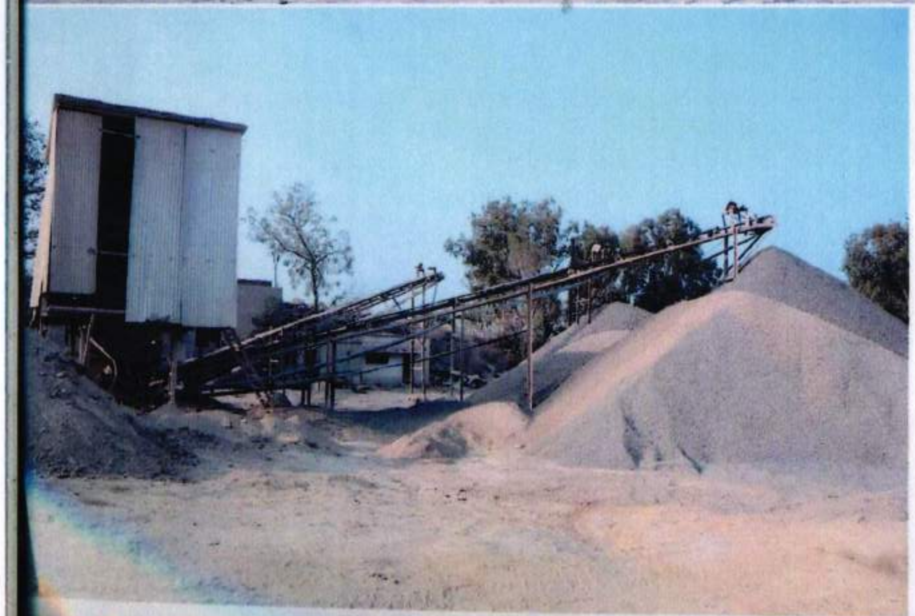

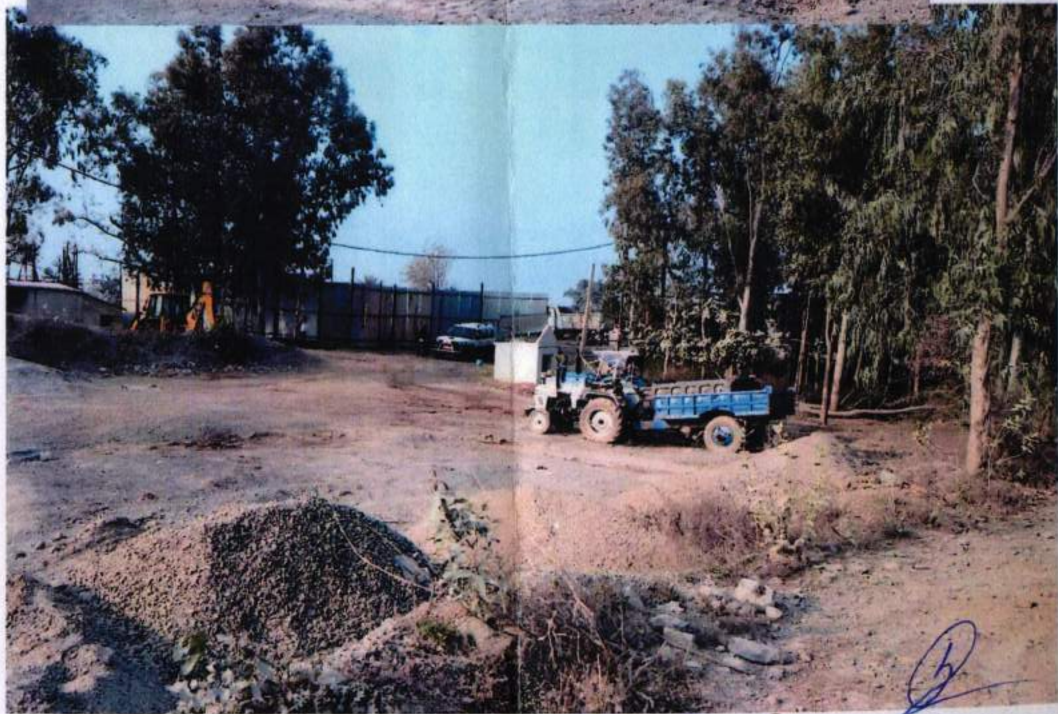

क्षेत्रीय अधिकारी

में.शिवशक्ति स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया

(13)

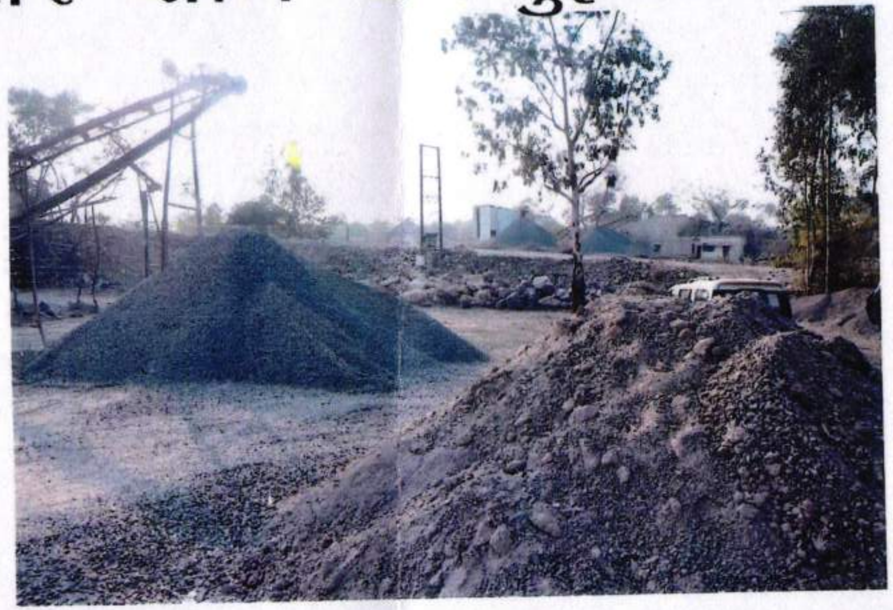

मे. त्रिमूर्ति स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

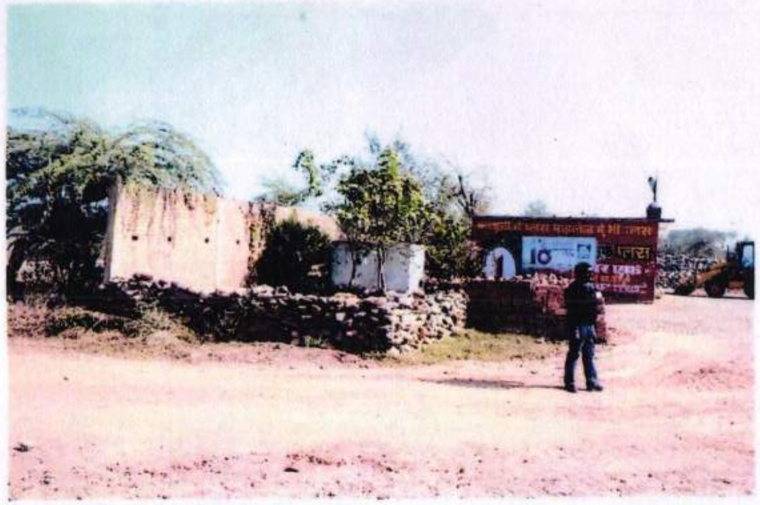

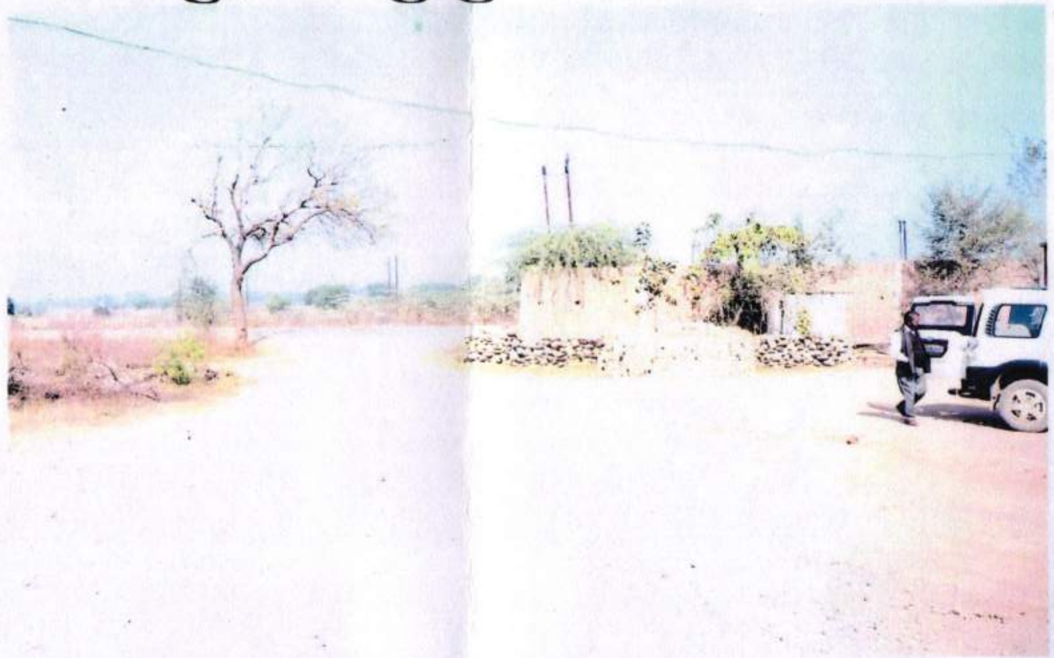

मेें मॉं स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

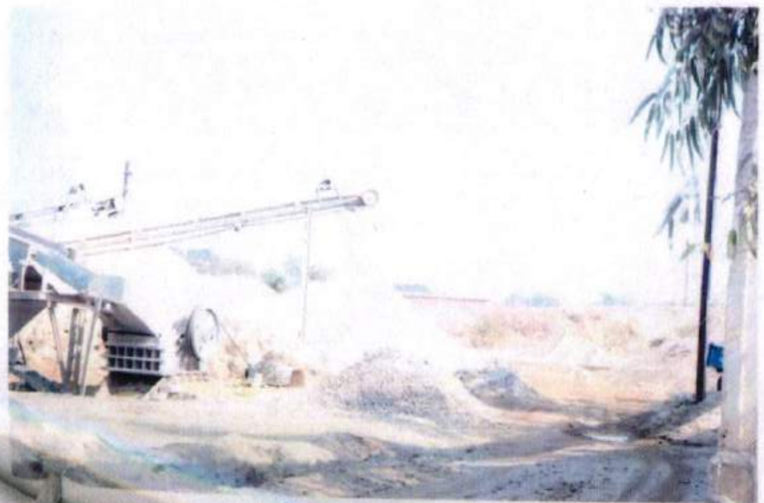

(16)

में .तिवारी स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीव

मे.हरिओम स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

(18)

में. श्री सॉई स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

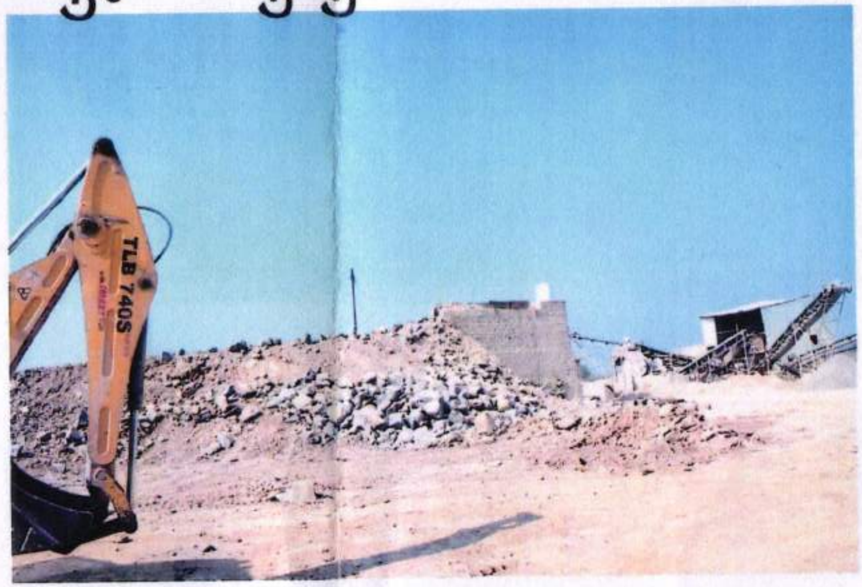

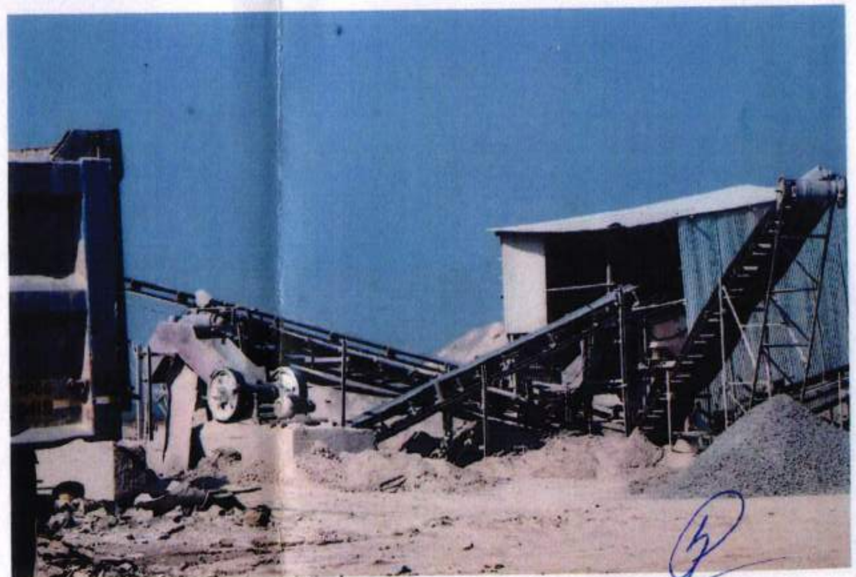

(19)

मे. त्रिमूर्ति स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

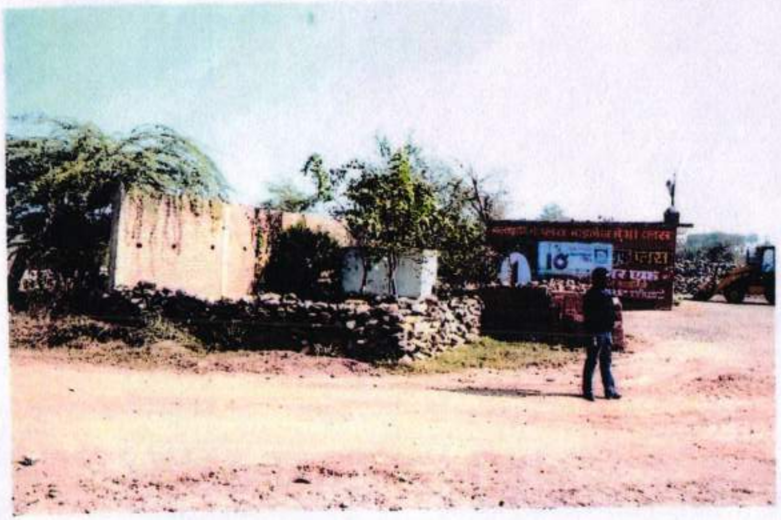

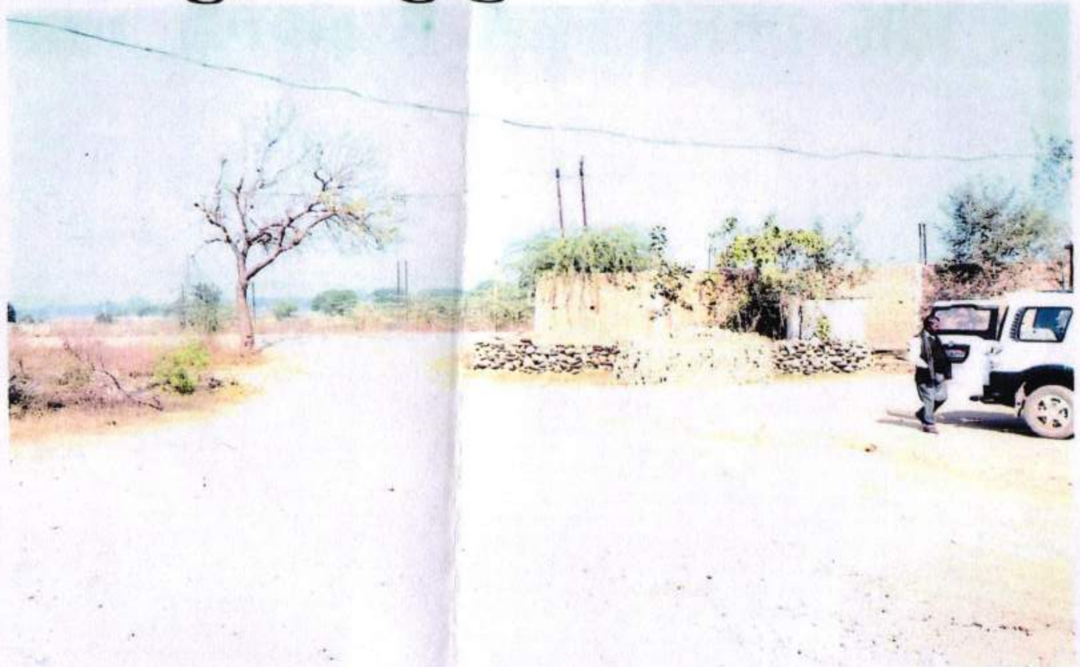

मे.एन.पी.एस.सी.तिवारी स्टोन केशर ग्राम बनकुइंया हुजुर जिला रीवा

21

REGIONAL LABORATORY
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD

HIG 190-191 NEHRU NAGAR COLONY REWA (M.P.)
(Tel & Fax 07662-230605 ,e-mail-rorewa_pcb@rediffmail.com)

Air Monitoring Report

Name of Industry:-Bankuiyan Village,Rewa

S.No.- 311-314

Bill No.

Date of Sampling – 24.12.2020(Time duration: From 10.0AM -6.00PM)

Date of analysis - 26.12.2020

Sample Collected by:Mr.R.P.Patel,Sampler & Mr. Dinesh Shukla L.A. & Mr.Naveen Dubey,LA,Rewa

Reference :- On complain basis

1. STACK MONITORING RESULT

Stack-1 Stack-4

Stack-2 Stack-5

Stack-3 Stack-6

S. No	Characteristics	Unit	Stack1	Stack2	Stack3	Stack4	Stack5	Stack 6
1.	Particulate Matter	mg/m³ normal	-	-	-	-	-	-
2.	Noise level	dB(A)						

2. AMBIENT AIR MONITORING RESULT

Station No. 1. Near Shri Santosh Sahugoura's house No. 2. Near Aganbadi building

No.3 Near Govt. PreMiddle School,Bankuiyan No.4 Apprx.30mtrs.from Main Road (Rewa-Semariya Rd)

No.	Characteristics	Unit	Result-1	Result-2	Result-3	Result-4	Result-5
1.	Respirable Particulate Matter(P.M.10)	µg/m³	89.54	92.35	90.10	96.50	-
2.	P.M.2.5	µg/m³	-	-	-	-	-
3.	Noise level meter	dB(A)	-	-	-	-	-

1. ☐ Indicates that value exceed the permissible limits.

2. Compared with M.P.P.C.B. Standard.(Limit =PM10=100 µg/m³)

3. Comments :- 1. Weather was clear at the time of monitoring. 2. Wind direction-W-E

Analysed & Report Prepared by:-Jr.Scientist
(Dr. Shubhi Mathur)
Jr. Scientist

for Laboratory Incharge
LABORATORY INCHARGE
Regional Office
MPPCB Rewa
M.P.P.C.B. REWA

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa_pcb@rediffmail.com

क्रमांक 2081 /क्षे.का./तक./प्रनिबो/2020 रीवा दिनांक : 31.12.20

प्रति,

मेसर्स एन.पी.एस स्टोन क्रेशर
(प्रो.श्री बदन तिवारी)
ग्राम –बनकुइंया तह.हुजूर
जिला – रीवा (म.प्र.)

बिषय :–वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस
संदर्भ :–कलेक्टर रीवा द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा किया गया निरीक्षण दिनांक 24.12.2020

यह कि आप द्वारा एक स्टोन क्रेशर उद्योग ग्राम – बनकुइंया तह.हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) मे पर्यावरणीय नियमो की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :

- यह कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के तहत प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित नही की गयी है, एवं पर्यावरणीय अधिनियमो की अवहेलना करते हुए स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है।

- यह कि आपके द्वारा सम्मति शर्तो का पालन न करते हुए सक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उद्योग का संचालन किया जा रहा है , विदित हो कि पर्यावरण (संरक्षण) के नियमो के अंतर्गत स्टोन क्रेशर का संचालन करते हुए पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के प्रावधानो का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त **शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 10 दिवस की** समयसीमा के साथ निम्नानुसार निर्देश दिये जा रहे **है** :-

1 आपके द्वारा बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित ही किये बिना ही उद्योग का संचालन किया गया है।

2 संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त होने वाली सुविधाये जैसे ,विद्युत सप्लाई एवं खनिज विभाग से प्रदत्त किये जारहे पिट-पास एवं भण्डारण की अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से बंद कराने की अनुसशा की जावेगी ।

3 उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 /22 के तहत बोर्ड की सम्मति शर्तों का पालन किये बिना ही उद्योग का संचालन पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

4 **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण कमांक 34/2020 एव 179/2020 प्रचलन में है ,तथा उनके द्वारा संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश भी जारी किये है , साथ ही साथ प्र. क.62/2015 एवं 739/2018 में दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है ,** उपरोक्त निर्देशो का कडाई से पालन करें।

उपरोक्त बिन्दुओ के संबंध में इस कार्यालय को जानकारी 15 दिवस के आन्दर अनिवार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करें , अन्यथा वायु अधिनियम के तहत उद्योग को बंद कराने की कार्यवाही की जावेगी। यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उद्योग प्रबंधक (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति) संबंधित के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही के स्वयं जिम्मेदार होगें।

O/c

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा

पृ.क 2008/क्षेका/तक./प्रनिबो/2020 रीवा ,दिनांक 31.12.20
प्रतिलिपि :-

1 एस.डी.एम. हुजूर - जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2 खनिज अधिकारी , जिला खनिज कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ ।
3 अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंम्पनी जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ
4 गार्ड नस्ती

O/c

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa_pcb@rediffmail.com

क्रमांक 2649 /क्षे.का../तक./प्रनिबो/2020

प्रति,

रीवा दिनांक : 31.12.20

मेसर्स तिवारी स्टोन क्रेशर
(प्रो.श्री तुगनाथ तिवारी)
ग्राम -बनकुइंया तह.हुजूर
जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय :-**वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत नोटिस**
संदर्भ :-कलेक्टर रीवा द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा किया गया निरीक्षण दिनांक 24.12.2020

यह कि आप द्वारा एक स्टोन क्रेशर उद्योग ग्राम - बनकुइंया तह.हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) मे पर्यावरणीय नियमो की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :

- यह कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के तहत प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित नही की गयी है, एवं पर्यावरणीय अधिनियमो की अवहेलना करते हुए स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है।

- यह कि आपके द्वारा सम्मति शर्तो का पालन न करते हुए सक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उद्योग का संचालन किया जा रहा है , विदित हो कि पर्यावरण (संरक्षण) के नियमो के अंतर्गत स्टोन क्रेशर का संचालन करते हुए पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के प्रावधानो का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 10 दिवस की समयसीमा के साथ निम्नानुसार निर्देश दिये जा रहे है :-

1 आपके द्वारा बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित ही किये बिना ही उद्योग का संचालन किया गया है।

2 संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त होने वाली सुविधाये जैसे ,विद्युत सप्लाई एवं खनिज विभाग से प्रदत्त किये जारहे पिट-पास एवं भण्डारण की अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से बंद कराने की अनुसशा की जावेगी ।

3 उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 /22 के तहत बोर्ड की सम्मति शर्तो का पालन किये बिना ही उद्योग का संचालन पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

4 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण कमांक 34/2020 एव 179/2020 प्रचलन में है **,तथा उनके द्वारा संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश भी जारी किये है , साथ ही साथ प्र. क.62/2015 एवं 739/2018 में दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है , उपरोक्त निर्देशो का कडाई से पालन करें।**

उपरोक्त बिन्दुओ के संबंध में इस कार्यालय को जानकारी 15 दिवस के आन्दर अनिवार्य रूप से आवेदन प्रस्तुत करें , अन्यथा वायु अधिनियम के तहत उद्योग को बंद कराने की कार्यवाही की जावेगी। यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उद्योग प्रबंधक (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति) संबंधित के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही के स्वयं जिम्मेदार होगें।

O/c

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा

पृ.क्र. 2610 /क्षेका/तक./प्रनिबो/2021
रीवा ,दिनांक 31.12.20

प्रतिलिपि :-

1 एस.डी.एम. हुजूर - जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2 खनिज अधिकारी , जिला खनिज कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ ।
3 अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंम्पनी जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ
4 गार्ड नस्ती

O/c

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रीवा

संलग्नक-4 (26)

REGIONAL LABORATORY
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD

HIG 190-191 NEHRU NAGAR COLONY REWA (M.P.)
(Tel & Fax 07662-230605 ,e-mail-rorewa_pcb@rediffmail.com)

Air Monitoring Report

Name of Industry:-Bankuiyan Village,Rewa

S.No.-306-308

Bill No.

Date of Sampling – 14.12.2020(Time duration: From 12.10PM -4.00PM)

Date of analysis - 15.12.2020

Sample Collected by:Mr.M.P.Tiwari,JE, & Mr. Dinesh Shukla L.A. Rewa

Reference :- On complain basis

1. STACK MONITORING RESULT

Stack-1

Stack-2

Stack-3

Stack-4

Stack-5

Stack-6

S. No	Characteristics	Unit	Stack1	Stack2	Stack3	Stack4	Stack5	Stack 6	
1.	Particulate Matter	mg/m³ normal	-	-	-	-	-	-	
2.	Noise level	dB(A)							

2. AMBIENT AIR MONITORING RESULT

Station No. 1. Near Shri Santosh Sahugoura's house No. 2. Near Aganbadi building

No.3 Near Govt. PreMiddle School,Bankuiyan No.4

No.	Characteristics	Unit	Result-1	Result-2	Result-3	Result-4	Result-5
1.	Respirable Particulate Matter(P.M.10)	µg/m³	91.84	98.91	96.89	-	-
2.	P.M.2.5	µg/m³	-	-	-	-	-
3.	Noise level meter	dB(A)	-	-	-	-	-

1. ☐ Indicates that value exceed the permissible limits.
2. Compared with M.P.P.C.B. Standard.(Limit =PM10=100 µg/m³)
3. Comments :- 1. Weather was clear at the time of monitoring.2. Wind direction-W-E

Report Prepared by- Jr. Scientist
(Dr. Shubhi Mathur)
Jr. Scientist

for LABORATORY INCHARGE
Laboratory Incharge
Regional Office
MPPCB Rewa
M.P.P.C.B. REWA

Annexure 2

(27)

क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
एच.आई.जी.190–191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक / 1437 / क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2021 रीवा, दिनांक 14/06/2021

प्रति,

श्री सुधीर श्रीवास्तव
विधि अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– **मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्र. 179 / 2020 के परिपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध मे।**

संदर्भः – ....

....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्र. 179 / 2020 के संबंध मे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गणना के अनुसार ग्राम बनकुइंया में संचालित क्रेशरों के विरूद्ध निम्नानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत है ।

रीवा जिले के बनकुइयॉ क्षेत्र के अंतर्गत स्टोन केसरो के विरूद्ध उल्लंघन दिवस की गणना निम्नानुसार की गई है :–

<u>टेबिल नं. –1.</u>

क्र.	क्रेशर का नाम एवं पता	उल्लंघन की प्रथम तिथि	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया निरीक्षण दिनांक	कुल उल्लंघन दिवस (N)	रिमार्क
1.	मे. एन.पी. स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	24.12.2020	24.03.2021	90	संयुक्त टीम के निरीक्षण पर पाया गया कि उद्योग बिना वैध सम्मति के स्थापित है।
2.	मे. हरिओम स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	02.03.2021	24.03.2021	22	उद्योग को 02.04. 2021को स्थापना की अनुमति दी गई। निरीक्षण दिनांक 02. 03.2021 को बिना

					उत्पादन सम्मति के संचालित पाया गया।
3.	मे. श्री सॉई स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	10.01.2021	24.03.2021	74	उद्योग को स्थापना की अनुमति दिनांक 02.04.2018 को प्रदत्त की गई थी। उद्योग का निरीक्षण 10.01.2021 को पाया कि उद्योग बिना उत्पादन सम्मति के संचालित है।
4.	मे. उदय स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) यूनिट–1 (प्रो. श्री चित्रभान सिंह)	24.12.2020 एवं 24.03. 2021 को बंद पाया गया	24.03.2021	—	
5.	मे. सूर्योदय स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) (प्रो. श्री चित्रभान सिंह) यूनिट–2	24.12.2020 एवं 24.03. 2021 को बंद पाया गया	24.03.2021		
6.	मे. त्रिमूर्ति स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	—	24.03.2021	—	सम्मति की वैधता दिनांक 18.11.2021 तक है।
7.	मे. तिवारी स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) (प्रो. श्री तुंगनाथ तिवारी)	01.08.2018	24.03.2021	528	उद्योग को सम्मति दिनांक 31.07.2018 तक प्रदत्त की गई है, तत्पश्चात बिना बैध सम्मति के संचालित पाया गया।
8.	मे. मॉ स्टोन केसर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	01.07.2014	24.03.2021	1344	उद्योग को बोर्ड द्वारा 30.06.2014 तक सम्मति प्रदत्त की गई थी, तत्पश्चात बिना वैध सम्मति के संचालित रहा।

नोटः— वर्ष मे सामान्यतः 200 दिन कार्य किया जाता है उस अनुसार उल्लंघन दिवस की गणना की गई है।

पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु मान्नीय अधिकरण द्वारा निर्धारित "फार्मूला"

1- EC=P1xNxRxSxLF

1. उपरोक्त स्टोन क्रेशर की सम्मति / उत्पादन दिनांक से गणना की गई है।

   EC= Environment Compensations

   P1 = Pollution Index of Industrial Sector

   N= Number of Days of Violation took place

   R= A Factor in Rupees for EC

   S= Factor for Scale operation

   LF = Location Factor

   पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु मान्नीय अधिकरण द्वारा दी गई गाईड लाइन अनुसार गणना निम्नानुसार हैः—

   P1= 80 लाल श्रेणी उद्योग हेतु
   50 नारंगी श्रेणी उद्योग हेतु
   30 हरी श्रेणी उद्योग हेतु

1. स्टोन क्रेशर तत्समय नारंगी श्रेणी में आता था। अतः P1=50 माना जाये।
2. R= फार्मूले अनुसार मिनिमम फेक्टर रूपये 100 एवं अधिकतम 500 रूपये जिसे रूपये। मान्नीय एन.जी.टी. के आदेश से 250 माने जाने का सुझाव दिया गया है। अतः R= 250 माना जावे।
3. S= फार्मूले अनुसार 0.5 माइक्रो अथवा लघु उद्योग 1.0 मध्यम श्रेणी तथा 1.5 तथा वृहद श्रेणी के उद्योगो हेतु निर्धारण किया गया है। क्रशर. प्लान्ट माइक्रो अथवा लघु श्रेणी में है। अतः S= 0.5 माना जाये।
4. LF= 10 कि.मी. शहरी सीमा मे स्थापित है तो निम्नानुसार मानक निर्धारित है :—

SI. NO.	Population* (Milion)	Location Factor#(LF)
1-	Less than 1	1.0
2-	1 to <5	1.25
3-	5to <10	1.5
4-	10 and above	2.0

टेबिल नं. –2 पर्यावरण क्षतिपूर्ति की गणना

क्र.	क्रेशर का नाम एवं पता	गणना EC=P1xNxRxSxLF	कुल पर्यावरण क्षतिपूर्ति
1.	मे. एन.पी. स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	50x90x250x0.5x1	562500.00
2.	में. हरिओम स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	50x22x250x0.5x1	137500.00
3.	में. श्री सॉई स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	50x74x250x0.5x1	462500.00
4.	में. उदय स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	—	—
5.	में. सूर्योदय स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	—	—
6.	में. त्रिमूर्ति स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	—	—
7.	में. तिवारी स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	50x528x250x0.5x1	3300000.00
8.	मे. मॉ स्टोन केसर ग्राम बनकुइंया तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)	50x1344x250x0.5x1	8400000.00

अतः स्टोन केसरो के विरूद्ध पोल्यूटर्स पे सिद्धान्त के तहत टेबिल कमांक 2 मे दर्शित स्टोन केसरों के विरूद्ध पेनाल्टी अधिरोपित किये जाने हेतु माननीय अधिकरण द्वारा सुझाये गये फार्मूले अनुसार किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ. अशोक तिवारी)
कनिष्ठ वैज्ञानिक
म.प्र. प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड,
रीवा (म.प्र.)

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रीवा (म.प्र.)

Annexure-1

Format of Crusher										
Sr.	**Name of Crusher**	**Capacity**	**Date of 1st Consent**	**Consent Validity**	**Operational or Not**	**Distance from 1. School 2. Hospital 3. Aganwadi 4. Habitation**	**Pollution Control Arrangement**	**Details of Attached Mines**	**Notice issue or Not**	**Remark/Action Taken**
1	M/s Triveni Stone Crusher (Pro. Shri Ashish Tiwari) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	22000 MT/Year	09.04.2013	31.08.2022	Operational	1200 Meter	02 side Boundary wall, 01 Side Ramp, Crushing Chamber Covered, Water Sprinkler	M/s Triveni Stone mine	Not issued	-
2	M/s Maa Parwati Stone Crusher (Pro. Shri Mithles Diwedi)) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	24000 MT/Year	17.03.2015	31.03.2021	Operational	500 Meter	03 side Boundary wall, Crushing Chamber Covered, Water Sprinkler	M/s Maa parwati Stone Mine	Not issued	-
3	M/s Shogaura Stone Cursher (Pro.Shri Santosh Shogaura) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	24000 MT/Year	09.04.2013	31.07.2021	Operational	450 Meter	03 side Boundary wall, Crushing Chamber Covered, Water Sprinkler	M/s Kalpana Tiwari Stone Mine, Dadar Stone Quarry Mine	Not issued	-
4	M/s Maa Sharda Stone Crusher (Pro. Shrimati Vandana Shrivastav) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	20000 MT/Year	04.12.2013	31.05.2023	Operational	150 Meter	03 side Boundary wall, , Crushing Chamber Covered, Water Sprinkler	M/s Maa Sharda Stone Crusher (Stone Mine)	Not issued	-
5	M/s Shiv Shakti Stone Crusher (Pro. Shri Jitendra Singh) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	15000 MT/Year	06.05.2006	30.04.2021	Operational	200 Meter	03 side Boundary wall, Crushing Chamber Covered, Water Sprinkler	M/s Shiv Shakti Stone Mine	Not issued	-
6	M/s Smita Stone Crusher (Pro. Shimati Asha Panday) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	36000 MT/Year	26.09.2012	31.07.2022	Operational	1. 225 Meter 2. 30 Meter 3. 195 Meter	03 side Boundary wall, Crushing Chamber Covered, Water Sprinkler	M/s Smita Stone Mine, M/s Asha Panday Stone Mine (2 Unit) , M/s Amit Panday Stone Mine (2 unit), M/s Moti Pandey Stone Mine	Not issued	-
7	M/s Maa Stone Crusher (Pro. Shri Vijay Panday) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	24000 MT/Year	03.08.2011	Application Reject and Under Section 31(A) closer order issued	Operational	240 Meter	APC is not adequate	-	Notice issued	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
8	M/s Tiwari Stone Cursher (Pro. Shri Tugnath Tiwari) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	24000 MT/Year	24.07.2014	Under Section 31(A) closer	Operational	1. 30 Meter 2. 50 Meter 3. 95 Meter	01 side Boundary wall, Crushing Chamber Covered, APC is not	-	Notice issued	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case

Annexure-1

				issued			adequate			under section 21/22 of Air Act is proposed .
9	M/s NPS Stone Crusher (Pro. Shri Badan Tiwari) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	Plant Closed	-	Under Section 31(A) closer order issued	Plant Closed	1. 30 Meter 2. 50 Meter 3. 75 Meter	Crushing Chamber Covered, APC is not adequate	-	Notice issued	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
10	M/s Uday Stone Crusher Unit-1 (Pro Shri Chitrabhan Singh) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	Plant Closed	-	Under Section 31(A) closer order issued	Plant Closed	170 Meter	01 side Boundary wall, , APC is not adequate	-	Notice issued	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
11	M/s Shuryuday Stone Crusher Unit-2 (Pro Shri Chitrabhan Singh) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	Plant Closed	-	Under Section 31(A) closer order issued	Plant Closed	180 Meter	01 side Boundary wall, , APC is not adequate	-	Notice issued	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
12	M/s Hari Om Stone Crusher (Pro. Shri Vineet Singh) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	30000 MT/Year	02.04.2018-CTE	Application Reject 10.01.2021& Under Section 31(A) closer order issued	Operational	450 Meter	01 side Boundary wall, l, Crushing Chamber Covered, APC is not adequate	-	Notice issued	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
13	M/s Sai Stone Crusher (Pro. Shri Sailesh Singh) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	32000 MT/Year	02.04.2018-CTE	Application Reject 10.01.2021& Under Section 31(A) closer order issued	Operational	500 Meter	01 side Boundary wall, Crushing Chamber Covered, APC is not adequate	-	Notice issued	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
14	M/s Trimurti Stone Crusher (Pro.Shri Rajendra Tamrakar) Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	36000 MT/Year	05.01.2021-CTE	18.11.2021 Under Section 31(A) closer order issued	Operational	500 Meter	01 side Boundary wall, Crushing Chamber Covered, APC is not adequate	-	Notice issued	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .

(Dr. Ashok Tiwari)
Jr. Scientist
M.P. Pollution Control Board Rewa (M.P.)

(83)

Annexure-2

Format for mines

S. No.	Name of mine	Capacity (Cum/Year)	1st Consent	Attached crusher	Action Taken /Remark
1.	Triveni Stone Crusher Stone Mine-Rewa	20084.00	04/02/2018	M/s Triveni Stone Crusher Bankuinya Distt. Rewa	-
2.	Ma Parwati Stone Crusher Stone Mine-Rewa	8526.00	13/10/2020	M/s Ma Parwati Stone Crusher Bankuinya Distt. Rewa	-
3.	Dadar Stone Quarry Mine -Rewa	17228.00	16/11/2020	M/s Sohgaura Stone Crusher Bankuinya Distt. Rewa	-
4.	Ma Sharda Stone Crusher Stone Mine-Rewa	5000.00	12/04/2016	M/s Ma Sharda Stone Crusher Bankuinya Distt. Rewa	-
5.	Shiv Shakti Stone Crusher Stone mine-Rewa	17955.00	02/05/2018	M/s Shiv Shakti Stone Crusher Bankuinya Distt. Rewa	-
6.	Smita Stone Crusher Stone Mine	13538.00	31/08/2018	M/s Smita Stone Crusher Bankuinya Distt. Rewa	-
7.	Renewal of storage is under process in Mining department	No Mine	No Mine	M/s Maa Stone Crusher Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
8.	No Storage permission from mining department	No Mine	No Mine	M/s Tiwari Stone Cursher Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
9.	No Storage permission from mining department	No Mine	No Mine	M/s NPS Stone Crusher Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .

10.	No Storage permission from mining department	No Mine	No Mine	M/s Uday Stone Crusher Unit-1 (Vill. Bankuinya Th. Huzur Distt. Rewa	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .
11.	Validity of storage By mining department till- 18/03/2023	No Mine	No Mine	M/s Shuryuday Stone Crusher Unit-2 Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	-
12.	Validity of storage By mining department till- 21/02/2022	No Mine	No Mine	M/s Hari Om Stone Crusher Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	-
13.	Validity of storage By mining department till- 21/02/2022	No Mine	No Mine	M/s Sai Stone Crusher Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	-
14.	No Storage permission from mining department	No Mine	No Mine	M/s Trimurti Stone Vill. Bankuiya Th. Huzur Distt. Rewa	Under Section 31 (A) Closer order has been issued & Court Case under section 21/22 of Air Act is proposed .

(Dr. Ashok Tiwari)
Jr. Scientist
M.P. Pollution Control Board Rewa (M.P.)

(35)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.)

E Mail:- modgrew@mp.ogv.in

क्रमांक / 1752 / खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 25-3-21

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रीवा (म.प्र.)

विषय :– माननीय एन.जी.टी. के विचाराधीन प्रकरण क्र. 179 / 2000 में प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 1136 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2021 रीवा दिनांक 25.03.2021

––00––

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	स्टोन क्रेशर का नाम	भण्डारण की अद्यतन स्थिति
1.	मे0 माँ स्टोन क्रेशर, बनकुईयां	भण्डारण नवकरण की कार्यवाही प्रचलन में है।
2.	मे0 तिवारी स्टोन क्रेशर, बनकुईयां	निरंक
3.	मे0 तिवारी स्टोन क्रेशर, बनकुईयां	निरंक
4.	मे0 हरि ओम स्टोन क्रेशर, बनकुईयां	स्वीकृत अवधि 22.02.2019 से 21.02.2022 तक
5.	मे0 श्री सांई स्टोन क्रेशर, बनकुईयां	स्वीकृत अवधि 22.02.2019 से 21.02.2022 तक
6.	मे0 सूर्योदय स्टोन क्रेशर, बनकुईयां प्रो. श्री चित्रभान सिंह	स्वीकृत अवधि 19.06.2020 से 18.03.2023 तक
7.	मे0 उदय स्टोन क्रेशर, बनकुईयां	निरंक
8.	मे0 त्रिमूर्ति स्टोन क्रेशर, बनकुईयां	निरंक

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

मे. तिवारी स्टोन क्रेशर. वन कुईया रीवां

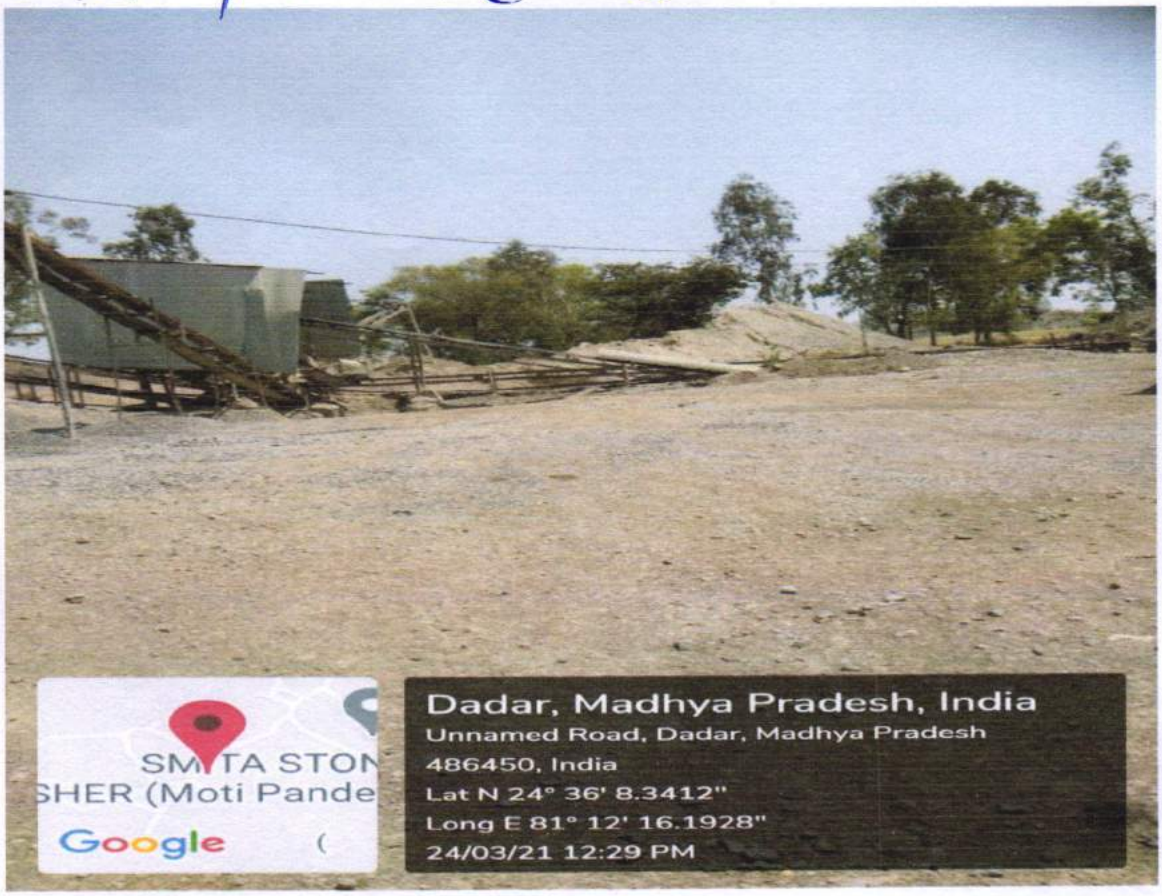

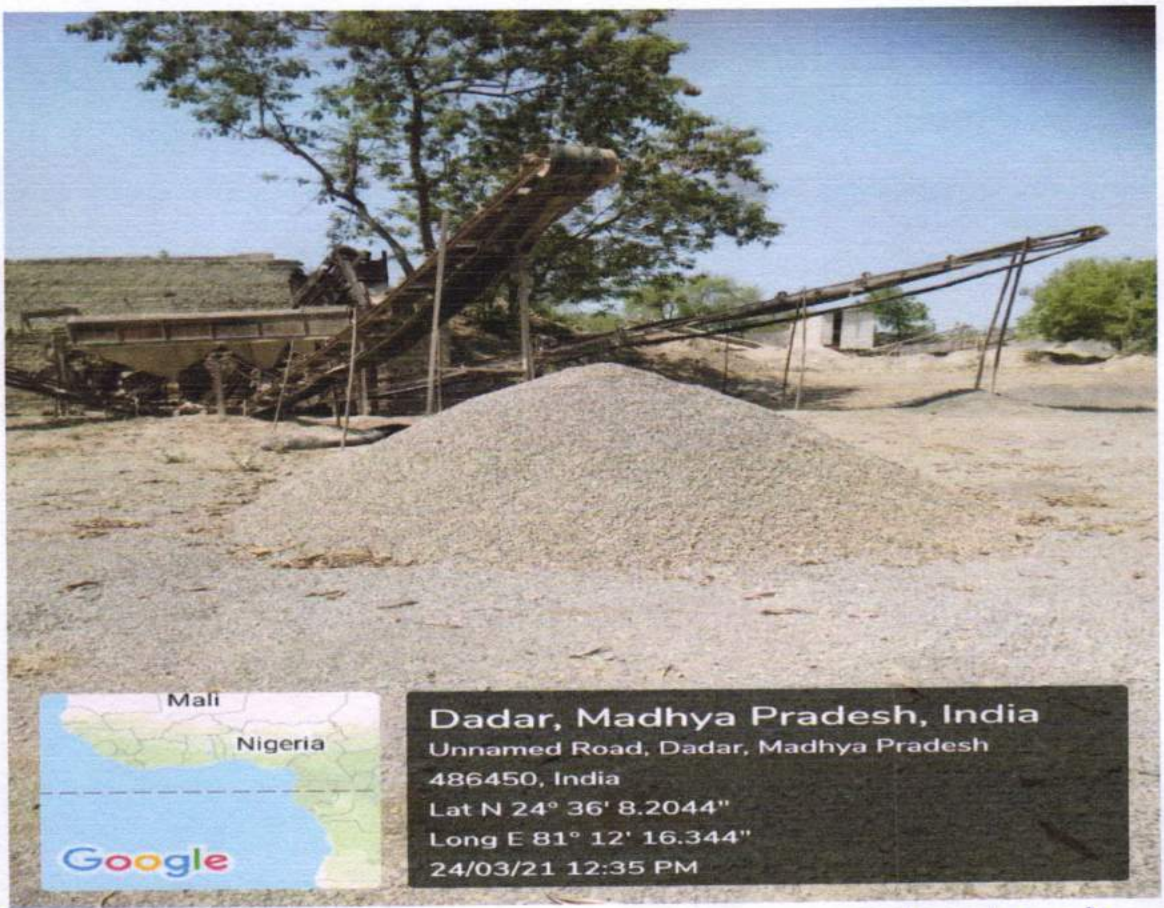

मे. तिवारी स्टोन क्रेशर. प्रो. एन.पी. [illegible] स्टोन क्रेशर

मे. साई स्टोन क्रेशर- ग्राम- बरहुईया- रीवा (37)

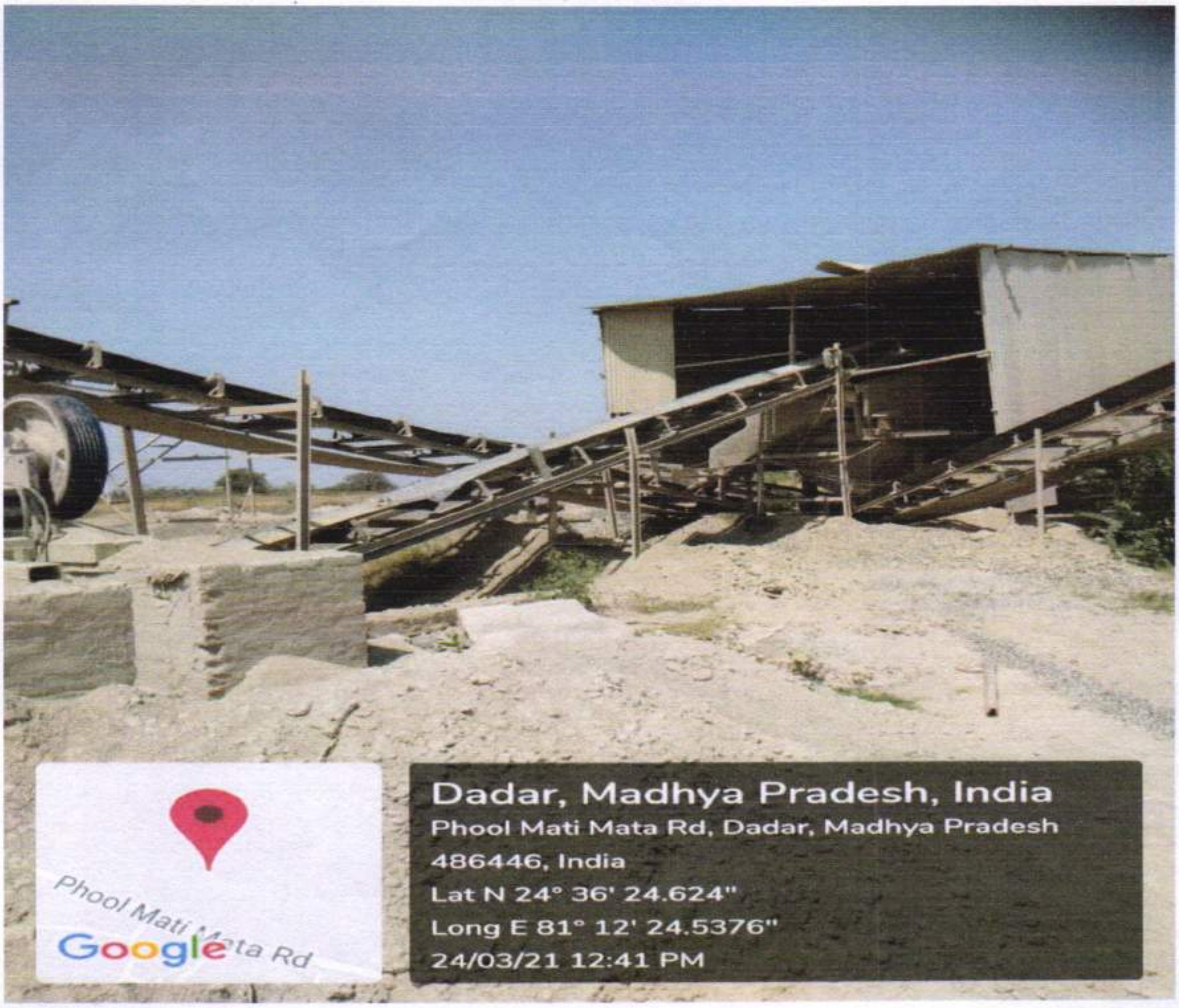

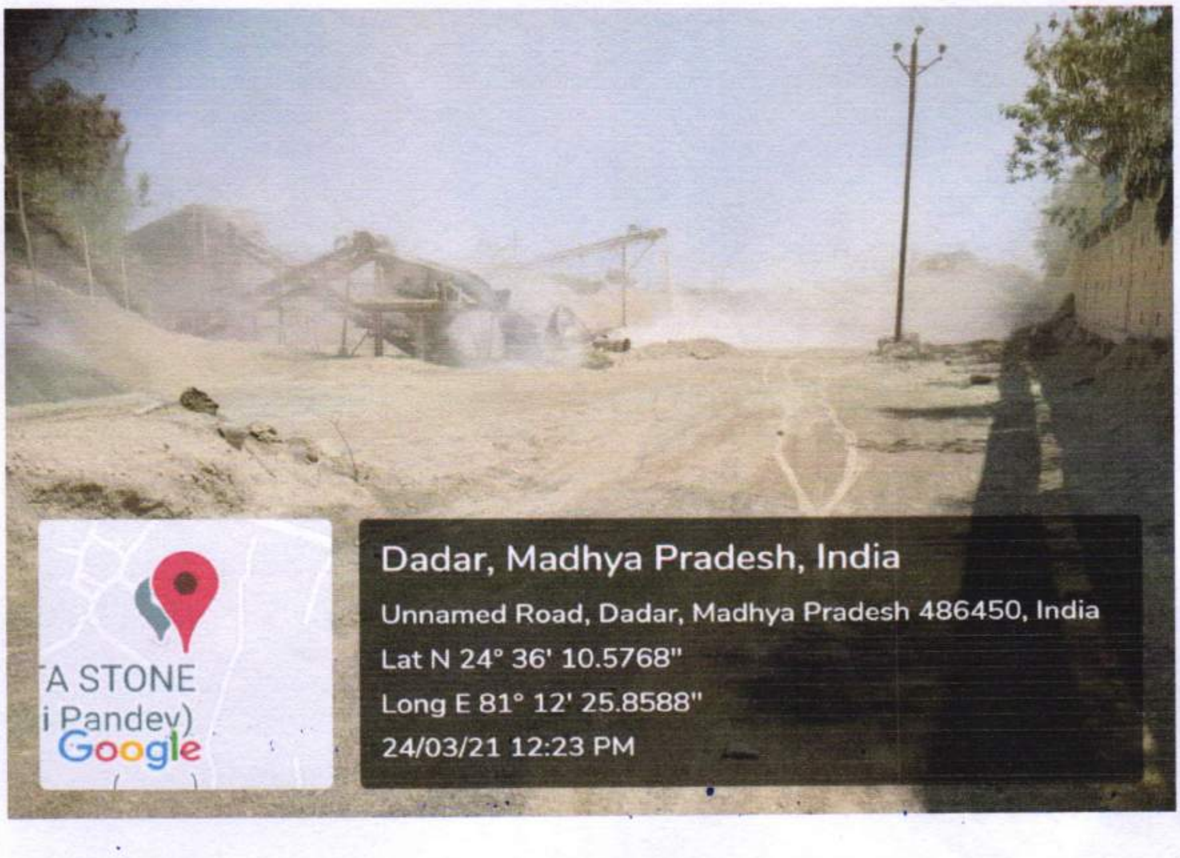

मे. माँ स्टोन क्रेशर ग्राम- बरहुईया जिला रीवा

मे. त्रिवेणी स्टोन क्रेशर ग्राम. बनकुईया रीवा

मे. सूर्योदय स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुईया · रीवा

मे. त्रिमूर्ति स्टोन क्रेशर ग्राम· बनकुइया ·रीवा (39)

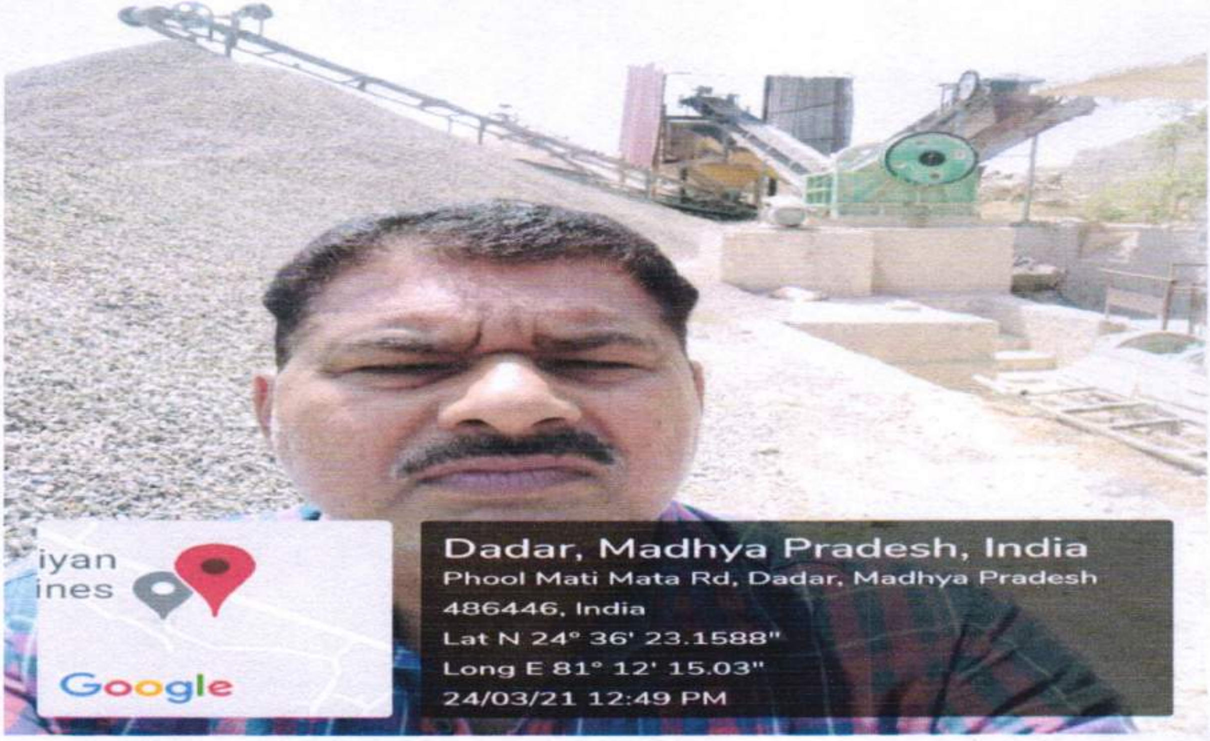

मे. हरिओम स्टोन क्रेशर ग्राम - बनकुइया · रीवा

मे. उदय स्टोन क्रेशर ग्राम- बनकुइया सीधी (40)

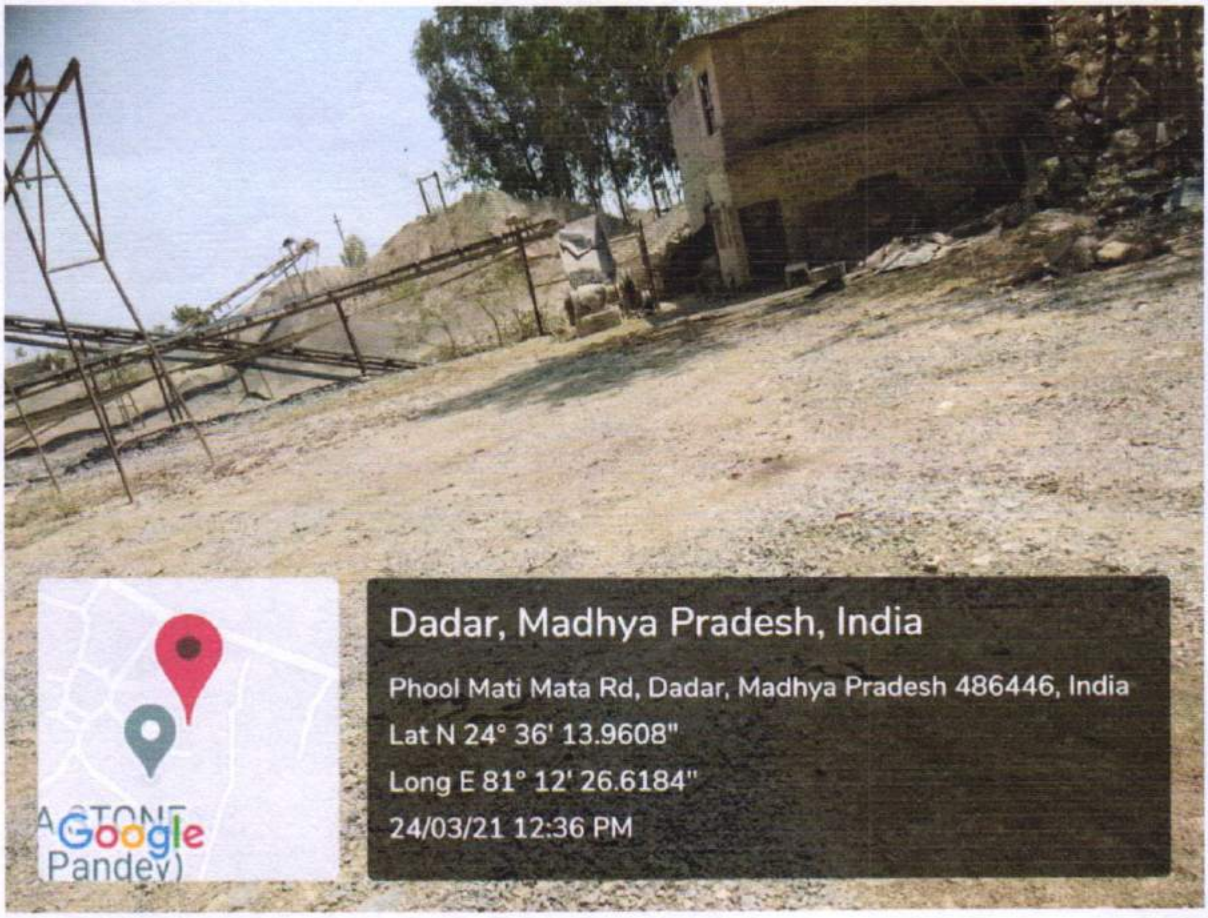

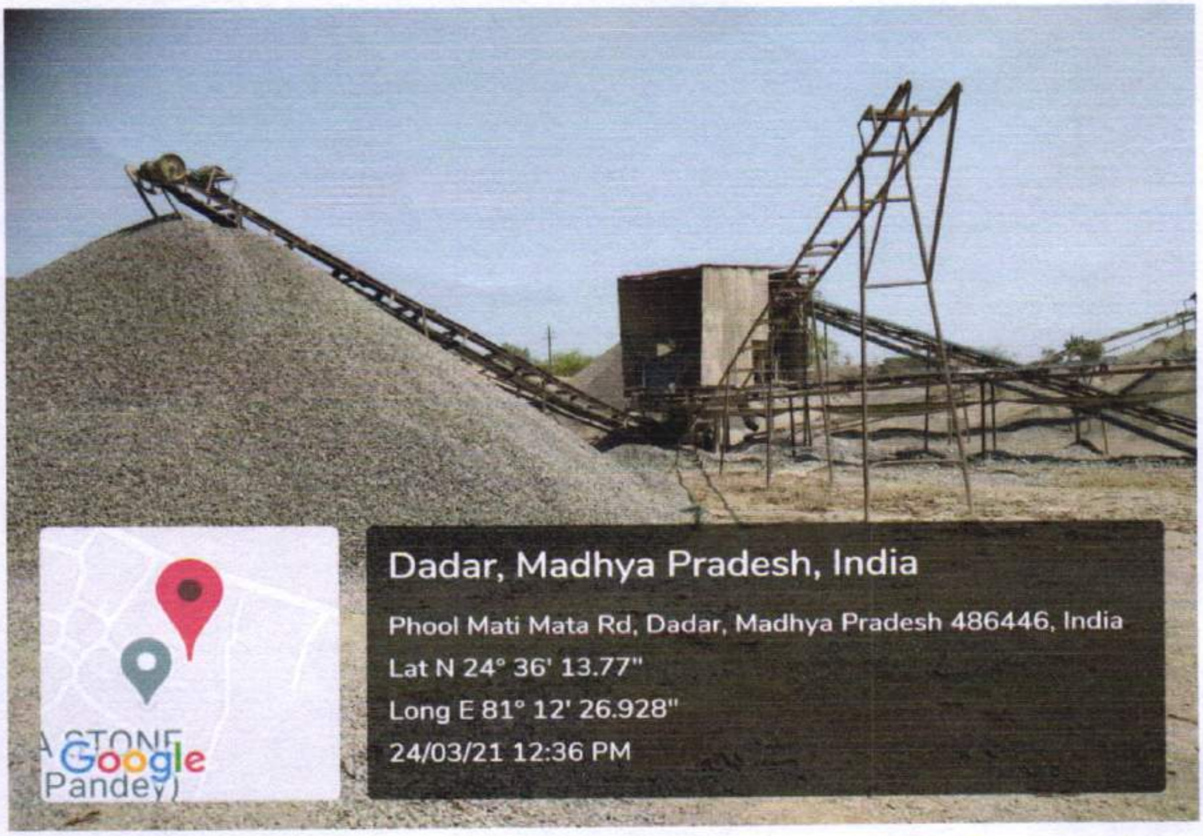

मे. एन. पी. रूस्से स्टोन क्रेशर ग्राम बनकुइया सीधी

Google Maps

Imagery ©2021 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2021 1000 ft

41